

23-6-2016

राजस्व लोक न्याय न्याय
आपके द्वार के तहत उभर
पक्षों को सुनवाई हेतु
नोटिस जारी होने के बाद
पत्रावली आज राजस्व लोक न्याय
न्याय सेवा केंद्र ग्रुप क्वैर
पर पेश हुई। वहीगण व
प्रतिवादी न। उपस्थित उभर
पक्षों को सुना गया। पत्रावली

५

डा. माण्ड अधिकारी
अनिवार्य

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

विकास नगर बनाम ने ६२

किस्म मुकद्दमा. नम्बर 145 सन्..2015

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजों का इन्वेंटरी किया गया। वादीगण के द्वारा पत्र दे भी इसी प्रकार को लेकर वाद पेश किया था, जोसका पूर्व राजस्व लोक प्रदायक न्याय क्रमके द्वारे दि ११-६-२०१५ को आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण कर दिया गया था। पूर्व आपसी सहमति के आधार पर पुनः इस वाद के चलते का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>अतः वाद वादीगण इसी स्टेज पर स्वारिज किया जाता है। पगावली के ललशुभकर होकर तम्बू हो बन है तथा दफ्तर इन्जिन है।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा